

[8/3/2022] ४५७

प्रश्न सं. [क. 457]

5810312012

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017

भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति,

आयुक्त,  
लोक शिक्षण  
म0प्र0 भोपाल।

विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने / उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत।

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनांक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2018 के अनुकम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते हैं।

संलग्न-परिशिष्ट एक  
(१)

*YKTA*  
13/2/18

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-30/20-2/2018  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13-2-2018

- 1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

*YKTA*  
13/2/18

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

आर.के.त्रिवेदी  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
मध्य प्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग

*आर.के.त्रिवेदी*  
विशेष  
अधिकारी

**ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के  
लिए नये मापदण्ड**

**(क) हाई स्कूल**

**अनिवार्यता**

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई रक्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

**प्राथमिकता**

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी । )

**(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड**

**अनिवार्यता**

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

**प्राथमिकता**

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी । )

**टीप/-** किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

  
**आर.के.त्रिपाठी**  
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
 राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

  
 13/8/18  
 उप सचिव,  
 स0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग